



कार्यालय कलेक्टर एवं विवाह रजिस्ट्रार, ग्वालियर, मध्यप्रदेश

(मध्यप्रदेश विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण नियम, 2008)

विवाहों के रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन-पत्र
(विशेष विवाह अधिनियम 1954, (नियम 7(1)(क) के अन्तर्गत)

प्रति,

**विवाह रजिस्ट्रार
जिला ग्वालियर (म.प्र.)**

वर तथा वधू का पासपोर्ट आकार का छाया
चित्र जो स्वतः अनुप्रमाणन के पश्चात
चिपकाया जाए.

1. (क) वर का नाम तथा पता
(ख) जन्म तारीख :
(ग) पिता का नाम :
(घ) विवाह के समय आयु :
(ङ.) निवास का पता/ग्राम
मौहल्ला/पो.ऑ.पुलिस
स्टेशन/जिला
2. (च) प्रास्थिति : अविवाहित/विधुर/विच्छिन्न विवाह :
(क) वधू का नाम तथा पता :
(ख) जन्म तारीख :
(ग) पिता का नाम :
(घ) विवाह के समय आयु :
(ङ.) निवास का पता, ग्राम/
मौहल्ला/पो.ऑ./पुलिस स्टेशन
जिला राज्य :
3. (च) प्रास्थिति : अविवाहित/विधवा/विच्छिन्न विवाह
(क) विवाह की तारीख :
(ख) विवाह का स्थान/ग्राम/मौहल्ला
पोस्ट ऑफिस/पुलिस स्टेशन
जिला एवं राज्य
4. विवाह का प्रकार (हिन्दू/मुस्लिम/किश्चियन/
आर्य समाज आदि)
5. क्या विवाह किसी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या पुजारी/काजी/चर्च का पादरी/आर्य समाज
या किसी अन्य धार्मिक संस्था द्वारा सम्पादित किया गया है, यदि हाँ तो विवाह प्रमाण-पत्र तथा उसके
अन्य ब्यौरों की सत्यप्रति संलग्न करें।

(.....)
वर के हस्ताक्षर एवं वार्ये हाथ
के अंगूठे का निशान

(.....)
वधूके हस्ताक्षर एवं वार्ये हाथ
के अंगूठे का निशान

(.....)
विवाह संपादित करवाने वाले के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

निरंतर -02

(2)

साक्षी : (हस्ताक्षर, नाम तथा पूरा पता)

- (1).....
- (2).....
- (3).....

टीप : प्रत्येक वर तथा वधु के पासपोर्ट आकार के दो छाया चित्र विवाह रजिस्टर तथा विवाह रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में चिपकाने के लिये एतद्वारा संलग्न हैं।

आवेदन पत्र के संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

1. आवेदन पत्र तीन प्रतियों में एवं कोर्ट की स्टॉम्प दस रुपये।
2. वर-वधु के पृथक-पृथक शपथ पत्र
3. वर एवं वधु पक्ष के निमंत्रण कार्ड
4. विवाह स्थल का प्रमाण पत्र (मैरिज हाउस संचालक द्वारा जारी किया हुआ)
5. दोनों पक्षों के शिक्षा प्रमाण पत्र (राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित)
6. विवाह के फेरों के फोटो।
7. स्थानीय निवास प्रमाण पत्र
8. 075 मिसलेनियस एण्ड जनरल सर्विस, शीर्ष में दोनों पक्षों से संयुक्त 32:00 रुपये के भारतीय स्टेट बैंक में जमा किये गये चालान की प्रति।
9. दोनों पक्षों के पासपोर्ट साईज के फोटो (तीन-तीन प्रतियों में)
10. विवाह अनुष्ठानकर्ता दोनों पक्षों के पुराहितों के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत हों तथा दोनों ही प्रमाण पत्र जारी करने के दिवस समक्ष में उपस्थित हों।
11. वोटर कार्ड/बिजली का बिल/टेलीफोन का बिल/नल का बिल अथवा निवास के सम्बन्ध में प्रमाण।
12. विशेष विवाह पंजीयन हेतु, हिन्दू विवाह अधिनियम 1954 के अन्तर्गत विवाह अनुष्ठान होने के पूर्व पक्षकार और तीन साक्षी, अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रारूप पर हस्ताक्षर, विवाह अधिकारी की उपस्थिति में करेंगे, तब ही उक्त घोषणा पर विवाह अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होकर, आवेदन, हिन्दू विवाह अधिनियम 1954 एवं मध्यप्रदेश विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण 2008 के अन्तर्गत पंजीकृत होगा।
13. तीन गवाह जो विवाह में उपस्थित हुये थे, उनके 10 रुपये के स्टॉम्प पत्र पर नोटरीशुदा शपथ पत्र संलग्न हों तथा प्रमाण पत्र जारी दिनांक को समक्ष में उपस्थित रहेंगे।
14. उपरोक्त आवेदन पत्र विशेष विवाह अधिनियम, 1954 एवं मध्यप्रदेश विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण नियम, 2008 के अन्तर्गत 23 जनवरी 2008 के पूर्व, संपादित हुये विवाह पर लागू होगा। नियत तिथि के उपरान्त हुये विवाहों का पंजीयन नगर निगम ग्वालियर में होगा।